

2019/00001

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 40/2018 (प्रार्थना पत्र - रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

मुंशी शहजाद पुत्र नाथू कल्लो पत्नि स्व0 नाथू खां, अल्लाबेली, बाबू खां पुत्रान, मस्ताना पुत्री हमीदा पत्नि स्व0 मोहम्मद हुसैन, सादिक (नाबा0) पुत्र बहीद, शानू पुत्री मुमताज पत्नि स्व0 बहीद नाबा. जयें वली माता खुद लियाकत, मन्सूर अली, मुस्ताक अली पुत्रान, शमीना पुत्री हुसैनी बानो पत्नी स्व0 जोहर अली, यासीन मोहम्मद कलीवर पुत्र हसीना बानो, कलिया बानो पुत्री, मरियम बेवा दिलशेर जाति मुसलमान सा0 भीमपुरा (केथून) तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्राधीगण)

उपस्थित :- श्री अतुल वशिष्ठ (अभिभाषक अप्रार्थी)



राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भीमपुरा (केथून) तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 415 हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.16 हैक्टर जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 372 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा (केथून) तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी / अथवा नामा0 सं0 118, ख0 नं0 415 की 12 बिस्वा भूमि खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान कार्रकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी0वी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 372 सन्वत् 2073-2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्न नोटिस तलबी की गई। अप्राथीगण की ओर से श्री अतुल वशिष्ठ एड० का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण का कथन है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ख० नं० 691 रकबा 0.16 हेक्टर वाले ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के प्रतिपक्षीगण खातेदार के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अप्राथीगण उक्त ख० नं० 691 रकबा 0.16 हे० के वर्तमान में खातेदार है और उक्त भूमि पर अप्राथीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व से ही उक्त भूमि अप्राथीगण के खातेदारी में चली आ रही है। अप्राथीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत कार्यवाही पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नहीं किया कि विवादग्रस्त आराजी के आवंटन आदेश की तिथि को भूमि की किसमें क्या थी और भूमि की किसमें किस आदेश से परिवर्तित की गई। ऐसा कोई दस्तावेज रेफरेन्स के साथ तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अप्राथीगण की खातेदारी/गैर खातेदारी कब और किसके आदेश से दी गई ऐसा कोई दस्तावेज प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वाटर फ्लो क्षेत्र के ख० नं० की सन 1955 की स्थिति की तुलनात्मक स्थिति भी प्रा० पत्र की रिपोर्ट में अंकित नहीं की गई है। इसलिये प्रा० पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रा० पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 415 हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.16 हेक्टर जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 372 पर उक्त अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी/अथवा नामा० सं० 118 ख० नं० 415 की 12 बिस्वा भूमि खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किसमें गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी०बी०सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं० प०१०(३) राज०/६/०१/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 372 सम्बत् 2073-2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किसमें गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो०, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(वासुदेव मालावत)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा